न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2535–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–03–2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल के प्रकरण कमांक 720/बी–103/2011–12/धारा 48ख

.....

बैंक ऑफ इंडिया
सचिवालय एम0पी0नगर ब्रांच,
एम0पी0नगर जोन–1
जिला भोपाल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्रीमती माला सान्याल, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/12/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा अपनी ऑडिट निरीक्षण टीप वर्ष 2010–11 की कंडिका 4 में उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में पंजीबद्ध विकय विलेख कमांक 911 (4) दिनांक 15–10–2010 पर आक्षेप लिया गया है कि पट्टा विलेख में संगणना के कारण मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क कम प्रभारित होने से शासन को राजस्व की हानि हुई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक ने

ऑडिट आक्षेप के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कमांक 720/बी–103/11–12/धारा 48–ख दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 04–03–2013 से ऑडिट आक्षेप को उचित पाते हुये कमी मुद्रांक शुल्क 25,106 रुपये एवं पंजीयन शुल्क 18,827/– रुपये तथा मुद्रांक विधान की धारा 48–ख के तहत अर्थदण्ड 5,000/– रुपये अधिरोपित करते हुये कुल 48,933/– रुपये की राशि आवेदक को शासकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता माला सान्याल कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष निरन्तर उपस्थित होती रही तथा माह दिसम्बर, 2012 में आवेदक के अधिवक्ता को कलकत्ता जाना था, इसलिये दूसरी अधिवक्ता कुमारी नीरा वर्मा को अधिकृत करके गई थी । अधिवक्ता कुमारी नीरा वर्मा द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष जबाव प्रस्तुत किया गया और न्यायालय के रीडर द्वारा पेशी नहीं दी गई । अधिवक्ता द्वारा अनेक बार सम्पर्क किया गया, फिर भी उन्हें पेशी नहीं बताई गई । यहॉ तक कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत जबाव का भी आदेशिका में उल्लेख नहीं किया गया। इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक के विरूद्ध अवैधानिक तौर से एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, अतः उक्त एकपक्षीय आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस न्यायालय में आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण के गुणदोष पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करते हुये केवल कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही के संबंध में तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष दिनांक 6–10–2012 को अधिवक्ता श्रीमती माला सान्याल उपस्थित हुई है, उसके पश्चात् उनके समक्ष आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर